

राजस्थान सरकार
रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि राजस्थान सहकारी
अधिनियम १९६५ की धारा ६(१) के अन्तर्गत सर्वश्री हरचंद राम

राजा राम, देव राम आदि

तथा अन्य के रजिस्ट्रेशन हेतु प्रस्तुत आवेदन-पत्र का रजिस्ट्रेशन

खंडाला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति का

खंडाला जिला जोधपुर के तहत के स्वीकृत किया


गया तथा उपरोक्त सहकारी समिति का रजिस्ट्रेशन काज दिनांक

28.5.76 को क्रमांक 1583/Q पर उपरोक्त

अधिनियम की धारा ८ के अन्तर्गत स्वीकृत की गई है साथ ही निम्न
आवेदन-पत्र में है और उक्त अधिनियम, उसके अन्तर्गत जारी किये गये
नियम और समिति के उप-नियमों के अनुसार रजिस्ट्रेशन किया गया।

यह रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र ही और व उसी चर सक्षिप्त
काज दिनांक 28.5.76 को जारी किया गया।




 सहायक रजिस्ट्रार,
 सहकारी समितियाँ, जोधपुर

सूचना के अधिकार अधिनियम
2005 के तहत प्रथम सूचना



उप सहायक

राजस्थान सरकार